राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 125/2018 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/01013

1. नानबाई पुत्री हरनारायण पत्नी हरिचन्द्र उम्र 67 साल जाति जाट निवासी देवलावास हाल आबाद जाटवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
2. चन्द्र पुत्री हरनारायण पत्नी प्रहलाद उम्र 65 साल जाति जाट निवासी देवलावास हाल आबाद उण्उ तहसील दादरी जिला भिवानी, हरि0

..........वादियागण

बनाम

1. जयवीर
2. ओमप्रकाश
3. सतपाल पुत्रान चन्दगी नवीरा हरनारायण
4. सुभानति देवी पत्नी विजयपाल
5. इन्द्रपाल
6. राजवीर
7. विक्रम
8. विकास पुत्रान विजयपाल नवीरा नेतराम जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. विक्रान्त पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
10. सदाराम पुत्र शुभराम माता सरती देवी जाति जाट निवासी जाटवास
11. सुरेश पुत्र शुभराम माता सरती देवी जाति जाट निवासी जाटवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
12. राजसिंह पुत्र खेमचन्द माता अणची देवी जाति जाट निवासी झीगावन तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
13. जयसिंह पुत्र प्रहलाद माता धन्नी जाति जाट निवासी झीगावन तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
16. उप पंजियक, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा— घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :— दिनांक 21/07/2023

वादियागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के हाल ख.नं. 231 रकबा 0.54 है., ख.नं. 592 रकबा 0.71 है., ख.नं. 593 रकबा 0.68 है., ख.नं. 646 रकबा 0. 54 है., ख.नं. 647 रकबा 0.49 है., ख.नं. 675/232 रकबा 0.41 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.37 है. के खातेदार काश्तकार पूर्व में वादियागण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी हरनारायण दर्ज रहा है। वाद वर्णित भूमि में वादियागण व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 8 व 10 लगा. 12 की पैतृक भूमि है जिसमें वादी सं. 1 का हिस्सा 1/7 व वादिया सं. 1/7 भाग, प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 का 1/7 भाग, प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10, 11 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 13 का 1/7 हिस्सा उक्त भूमि पैतृक होने से है। वादियागण अपने हिस्से की भूमि को अपने पिता के समय से ही कभी स्वयं काश्त करती आ रही है तथा कभी प्रतिवादी सं. 2 व 3 से बंटाई पर काश्त करवाती है तथा उनसे अपने हिस्से की बंटाई समय—समय पर लेती रहती है जब भी अपने ससुराल से अपने गांव आती है तो अपनी भूमि की देखभाल करती रहती है। इस प्रकार वादियागण अपने 2/7 हिस्से पर आज दिन तक काश्त करती आ रही है व बंटाई पर काश्त करवाती रही है। वाद वर्णित भूमि का पूर्व खातेदार हरनारायण था जो वादी सं. 1 व 2 का पिता है उसकी मृत्यु होने पर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पिता चन्दगी तथा प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 के दादा नेतराम के नाम से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज करके व्रादवर्णित भूमि का नामांतरकरण अकेले दोनों ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार वादिया सं. 1 व 2 स्वयं तथा प्रतिवादी सं. 10, 11 की माता सरती देवी प्रतिवादी सं. 12 की माता अणची व प्रतिवादी सं. 13 की माता धन्नी देवी का भी बराबर—बराबर हिस्सा था व उनके नाम से भी खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। वादियागण को जानकारी हुई कि वादिया का नाम ही खातेदारी में दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 ने गलत रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादी सं. 9 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने गलत रिकार्ड की आड़ में अपनी माता बाला देवी के नाम से गलत रूप से दर्ज 1/8 हिस्सा का हकत्याग अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसको प्रतिवादी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं है। वाद वर्णित भूमि पैतृक होने से वादी सं. 1 के 1/7 हिस्सा व वादी सं. 2 के 1/7 हिस्सा है तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पिता चन्दगीराम का था जिसमें से 1/28 हिस्सा बाला देवी जो चन्दगी की पत्नी है तथा 1/28 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/28 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 व 1/28 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 [illegible] के हिस्से में 0.12 है., बाला देवी 0.12 है., प्रतिवादी सं. 1 का 0.12 है., प्रतिवादी [illegible] 0.12 है. प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से में आती है जबकि गलत रिकार्ड की आड़ [illegible] 0.42 है. बाला देवी, 0.42 है. प्रतिवादी सं. 1 के, 0.42 है. प्रतिवादी [illegible] के 0.42 [illegible] प्रतिवादी सं. के 0.42 है. भूमि दर्ज है। इस प्रकार इन सभी के 1.20 है. भूमि [illegible] है जिसकी खातेदारी वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 10,11, 12, 13 के नाम से दर्ज होनी चाहिए। प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 के गलत रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादी सं. 9 को अपने हिस्से के बेचान कर दिया तथा अब प्रतिवादी सं. 1 गलत रिकार्ड की आड़ में भूमि बेचान करने की फिराक में है। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं. 1 अपने मनसूबे में कामयाब हो जाता है तो वादियागण के लिए ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादियागण के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि जब तक वाद पत्र का विधिवत रूप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक वाद वर्णित भूमि का दान, रहन, बेचान ना करें। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादियागण के 2/7 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के हाल खसरा नंबर 231 रकबा 0.54 है., ख.नं. 592 रकबा 0.71 है., ख.नं. 593 रकबा 0.68 है., ख. नं. 646 रकबा 0.54 है., ख.नं. 647 रकबा 0.49 है., ख.नं. 675/232 रकबा 0.41 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.37 है. भूमि में से वादियागण के 2/7 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 0.24 है., प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में 0.12 है., प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से में से 0.12 है. भूमि कम की जाकर वादियागण की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के हिस्से में से 0.48 है. भूमि वादियागण के हिस्से में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे तथा वादियागण के 2/7 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के हाल खसरा नंबर 231 रकबा 0.54 है., ख.नं. 592 रकबा 0.71 है., ख.नं. 593 रकबा 0.68 है., ख.नं. 646 रकबा 0.54 है., ख.नं. 647 रकबा 0.49 है., ख.नं. 675/232 रकबा 0.41 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.37 है. को रहन, दान, बेचान ना करें तथा वादियागण के 2/7 हिस्से के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी ना करें तथा प्रतिवादी सं. 16 को भी पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेज को तस्दीक ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादियागण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 (प्रदर्श–1), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2), जमाबन्दी संवत् 2051–54 (प्रदर्श–3), संवत् 2055–58 (प्रदर्श–3), संवत् 2063–66 (प्रदर्श–4), संवत् 2017–21 (प्रदर्श–5), संवत् 2012 (प्रदर्श–6), संवत् 2014 (प्रदर्श–7), संवत् 2021–24 (प्रदर्श–8), संवत् 2067–70 (प्रदर्श–9), जमाबन्दी खेत खतौनी संवत् 2029 (प्रदर्श–10), जमाबंदी संवत् 2063–66 (प्रदर्श–11), संवत् 2047–50 (प्रदर्श–12), संवत् 2025–28 (प्रदर्श–13) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र चन्द्र पुत्री हरनारायण (पी.डब्ल्यू.–1), नानी बाई पुत्र हरनारायण (पी.डब्ल्यू.–2) भी पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादियागण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद पत्र की मद सं. 1 में अंकित हरनारायण की वंशावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श–1 लगा. प्रदर्श– 13) के अवलोकन से वाद वादियागण वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के हिस्से में से 0.48 है. भूमि हजफ कर उसके

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

स्थान पर वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से अपनी खातेदारी घोषणा के साथ–साथ अपनी कब्जेकास्त की भूमि का खाता विभाजन का भी अनुतोष चाहा गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबुत व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन करने के पश्चात दिनांक 06.09.2022 को वादियागण का संयुक्त रूप से अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये गये थे।

चुंकि विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपना खाता विभाजन का अनुतोष वापस विड्रा कर केवल खातेदारी धोषणा का अनुतोष दिये हेतु अदालत से निवेदन किया गया। जिस पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी की गई। न्यायालय वादीगण को अपना खाता विभाजन का अनुतोष विड्रा करने की अनुमति दी जाती है, तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2022 जारी प्राथमिक डिक्री को आपस्त की जाती है तथा धोषणा की हद तक दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2022 को अपास्त कर वादीगण की खातेदारी धोषणा की हद तक डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 231, 592, 593, 646, 647, 675/232 कुल किता 6 कुल रकबा 3.37 है. में से प्रतिवादी सं. 1 की 0.24 है., प्रतिवादी सं. 2 की 0.12 है., प्रतिवादी सं. 3 की 0.12 है. (कुल 0.48 है.) भूमि कम की जाकर उसके स्थान पर जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 की खातेदारी से कम की गई है का अर्थात् 0.48 है. भूमि का वादियागण को (2/7 हिस्से का) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 21/07/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 125/2018 **जीसीएमएस नम्बर :–** 2018/01013

निर्णय दिनांक :– 21/07/2023

नानी बाई आदि बनाम जयवीर आदि

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से **श्री प्रविन्द्रर सिंह शेखावत** एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 21/07/2023 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2022 को अपास्त कर वादीगण की खातेदारी घोषणा की हद तक डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 231, 592, 593, 646, 647, 675/232 कुल किता 6 कुल रकबा 3.37 है. में से प्रतिवादी सं. 1 की 0.24 है., प्रतिवादी सं. 2 की 0.12 है., प्रतिवादी सं. 3 की 0.12 है. (कुल 0.48 है.) भूमि कम की जाकर उसके स्थान पर जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 की खातेदारी से कम की गई है का अर्थात् 0.48 है. भूमि का वादियागण को (2/7 हिस्से का) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested